रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 123] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 1982/चैत्र 9, 1904
No. 123] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 1982/CHAITRA 9, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1982

का.आ. 209(अ)./18 चख/आई डी आर ए/80.— भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का.का. 192(अ)/18चख/ए/79 आई डी आर तारीख 31 मार्च, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग केन्द्रीय (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (1) के खण्ड(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण-पत्रों, करारों व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों का (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित है) जिनका महादेव टेक्सटाइल मिल्स, हुगली, कर्नाटक नामक औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हो, प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी बाधाएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ।

और उक्त आदेश की अवधि 30 मार्च, 1982 तक, जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दी गई थी ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि एक वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दी जाएं ।

अत., केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि, 30 मार्च, 1983 तक, जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है ।

[फा. सं. 3(2)/79-सी.शु.एफ.]

सी. के. मोदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 30th March, 1982

S.O. 209(E)/18FB/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 192(E)/18FB/IDRA/79, dated the 31st March 1979 (hereinafter referred

to the said Order), the Central Government in exericse of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs Mahadeva Textile Mills, Hubli, Karnataka, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended for a period of one year from such date and that all obligations and liabilities accuring or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period ;

And whereas the duration of the said Order was extended upto and inclusive of 30th March 1982 ;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of said Order should be extended for a further period of one year ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of the 30th March 1983.

[No. 3(2)/79-CUS]

C. K. MODI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982